न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी– श्री मती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 72/2019

प्रार्थीगण

1 मुन्नीलाल पुत्र बोहराराम
2 रूपाराम पुत्र बोहराराम जातिगण सीरवी निवासीगण सुरायता तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 मृतक राजूराम पुत्र पुनाराम के का0मु0
1/1 किशनलाल पुत्र स्व0 राजूराम
1/2 जसराज पुत्र स्व0 राजूराम
1/3 रामलाल पुत्र स्व0 राजूराम
1/4 मनीष कुमार पुत्र स्व0 राजूराम
1/5 हिरालाल पुत्र स्व0 राजूराम
1/6 भानी पत्नी स्व0 राजूराम जातिगण सीरवी निवासीगण सुरायता तह0 सोजत जिला पाली।
2. चेनाराम पुत्र पुनाराम
3 लालाराम पुत्र लुंबाराम
4. मृतक हेमाराम पुत्र दुर्गाराम के का0मु0
4/1 वोरकी पत्नी हेमाराम
4/2 रमेश पुत्र हेमाराम
4/3 इन्द्रा पुत्री हेमाराम
4/4 गवरी पुत्री हेमाराम
4/5 अणची पुत्री हेमाराम
4/6 रेखा पुत्री हेमाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा खोण्डिया सुरायता तह0 सोजत जिला पाली।
5. दीपाराम पुत्र दुर्गाराम
6. भूरकी पत्नि धन्नाराम
7. दल्लाराम पुत्र धन्नाराम
8. तुलसाराम पुत्र धन्नाराम
9. बुधाराम पुत्र धन्नाराम जातिगण सीरवी निवासीगण सुरायता, तह0 सोजत जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 22/08/24

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सुरायता पटवार हल्का सुरायता, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुरायता तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 390 रकबा 1.2900 है0 खसरा नंबर 391 रकबा 0.9700 है0 चा0प्र0 बंजड की जोत में नया मार्ग हमारे खातेदारी खसरा नंबर 360 रकबा 20.1700 है0 में जाने हेतु 20 फुट चौडा मार्ग आशय रखते हैं। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया हैं। उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिये निकटतम व लघुतम रास्ता हैं। प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि आवागमन, कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर, गाडी, छकडा इत्यादि लाने ले जाने हेतु रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रा0 पत्र पेश कर सरहद मौजा ग्राम सुरायता के खसरा नम्बर 390 रकबा 1.2900 है0 खसरा नंबर 391 रकबा 0.9700 है0 चा0प्र0 बंजड की जोत में नया मार्ग हमारे खातेदारी खसरा नंबर 360 रकबा 20.1700 है0 मे जाने हेतु 20 फुट चौडा मार्ग दिलाये जाने की ईस्तदुआ की है। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना, तामिल बार बार आवाजे लगाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 18.07.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध मे वांछित तीनों बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक, निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यातिक आवश्यकता है अथवा नही से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1220 दिनांक 16.08.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 सुरायता, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि उक्त प्रकरण की पालना में पूर्व मे ग्राम सुरायता के नामा0 सं0 3025 दिनांक 18.04.2022 के तहत वादीगण को अपनी खातेदारी ख.नं. 360 में आवागमन हेतु प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी ख.नं. 390 व 391 में से वर्तमान ख.नं. 2736/390 एवं 2738/391 रकबा क्रमशः 0.0528 है0 व 0.0520 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक दिया जा चुका हैं। पूर्व में न्यायालय द्वारा दिया गया रास्ता (ख.नं. 2736/390 एवं 2738/391) आवेदित ख.नं. 360 से निकटतम दूरी पर स्थित व सुविधाजनक हैं, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त रास्ते को मौके पर बंद कर दिया गया। वैकल्पिक तौर पर वादी को ख.नं. 392, 393 व 394 की पूर्वी मांठ से रास्ता दिया जाता है तो प्रतिवादीगण की भूमि दो भागो में विभाजित न होकर एक चक रहेगी, लेकिन वैकल्पिक रास्ता पूर्व में न्यायालय द्वारा प्रस्तावित/निर्णित रास्ते (ख.नं. 2736/390 एवं 2738/391) से लघुतम दूरी न होकर अधिक दूरी पर स्थित हैं। वैकल्पिक रास्ते हेतु प्रभावित ख.नं. 392 प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज हैं तथा ख.नं. 393 व 394 आशा कुमारी पत्नि सम्पतराज वगैरा शेष खाता जमाबंदी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। जिस पर सिलिंग से प्रभावित का नोट अंकित हैं। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत सुरायता की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम सुरायता के खसरा नम्बर 390 रकबा 1.2900 है0 खसरा नंबर 391 रकबा 0.9700 है0 चा0प्र0 बंजड की जोत में नया मार्ग हमारे खातेदारी खसरा नबर 360 रकबा 20.1700 है0 में जाने हेतु 20 फुट चौड़ा मार्ग दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहां सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार 1 यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2 अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। चूंकि हस्तगत प्रकरण मे तहसीलदार सोजत द्वारा वैकल्पिक रास्ते के रूप मे दर्शाये खाता (ख.नं. 393 व 394) के निकटतम नही होने तथा सीलिंग प्रभावित होने से न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिये गए रास्ते (ख.नं. 2736/390 व 2738/391 किस्म गै0मु0 रास्ता) जिसका राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद को हो चुका है, को यथावत रखा जाना उचित परिलक्षित होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा ग्राम सुरायता पटवार हल्का सुरायता, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुरायता तहसील सोजत के खसरा नम्बर 360 रकबा 20.1700 है0 चा.प्र., बंजड की प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि पर कृषि कार्य तथा आवागमन हेतु न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गए रास्ते (ख.नं. 2736/390 व 2738/391 किस्म गै0मु0 रास्ता) जिसका राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद को हो चुका है, को यथावत रखा जाता हैं। अप्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि 0.1048 हैक्टर की 188608/- प्रति हैक्टर से दोगुणा 39532.24/- रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	390	1.2900	किशनलाल पुत्र राजूराम 1/24 जसराज पुत्र राजूराम 1/24	4×132=	1647.18 1647.18

			[illegible] पुत्र [illegible] 1/24	0.0528	1647.18
			[illegible] पुत्र [illegible] 1/24		1647.18
			[illegible] पुत्र [illegible] 1/24		1647.18
			[illegible] पत्नी [illegible] 1/24		1647.18
			[illegible] पुत्र [illegible] 1/4		9883.56
			[illegible] पुत्र [illegible] 1/4		9883.56
02	391	0.0700	[illegible] पत्नी हेमाराम 1/144	4×130	274.53
			रमेश पुत्र हेमाराम 1/144		274.53
			इन्दा पुत्री हेमाराम 1/144	0.0520	274.53
			[illegible] पुत्री हेमाराम 1/144		274.53
			[illegible] पुत्री हेमाराम 1/144		274.53
			रेखा पुत्री हेमाराम 1/144		274.53
			दीपाराम पुत्र दुर्गाराम 1/24		1647.18
			[illegible]ताराम पुत्र दुर्गाराम 1/24		1647.18
			[illegible] पत्नी मन्नाराम 1/32		1235.38
			दल्लाराम पुत्र मन्नाराम 1/32		1235.38
			तुलसाराम पुत्र मन्नाराम 1/32		1235.38
			[illegible]ाराम पुत्र मन्नाराम 1/32		1235.38

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावे। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इसकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना करवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 22/08/24 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली